न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 110/21

संतोष पुत्री राजुराम पत्नि मगनाराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. तिलाराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासरजिलाचूरू
2. पेमा पुत्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गंगा पुत्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. नोरा पुत्री मानाराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. डूंगरराम पुत्र शांति जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. भंवरी पुत्री शांति जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मुन्नी पुत्री शांति जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. मीरा पत्नि राजुराम जाति मेघवाल निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सुगनी पुत्री राजुराम पत्नि मोडूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुन्दडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
3. कमा पुत्री राजुराम पत्नि भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर
4. मनोहरी पुत्री राजुराम पत्नि तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर
5. गीता पुत्री राजुराम पत्नि खींवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोसेरी तहसील जायल जिला नागौर
6. नानु पुत्री राजुराम पत्नि तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. नरू पुत्री राजुराम पत्नि रूघाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, आज्ञापक व्यादेश एवं चिर निशेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादीनी
2. श्री भंवरलाल कुचेरिया एडवोकेट– वकील गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 5

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03-06-22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता/पति राजुराम उर्फ राजिया पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 10 दस रकबा 9.0296 नौ पोइन्ट जीरो दो नौ छः हेक्टेयर, खसरा संख्या 9 नौ रकबा 7.9167 सात पोइन्ट नौ एक छः सात हेक्टेयर भूमि वाके रोही तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

आगे वाद में वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादगत खेत वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के दादा/ससुर स्व. सुखाराम के समय के स्थित है। जिनको जागीर के समय से पहले सुखाराम काश्त करते थे। सुखाराम के स्वर्गवास के बाद उसका पुत्र राजुराम उर्फ राजिया काश्त करता था। राजुराम उर्फ राजिया के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि को वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण काश्त करते है। वादगत खेत वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पति के खेत है। पैत्रिक सम्पति में पुत्र पुत्री पौत्र एवं पौत्रियों के जन्म से ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हिस्सा कायम हो जाता है। वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का जन्म सुखाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। सुखाराम के स्वर्गवास के बाद वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा राजुराम के साथ 1/8–1/8 हिस्सा कायम हो गया। सुखाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों की खातेदारी राजुराम उर्फ राजिया अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई जो गलत एवं मिथ्या अंकित हुई। वादगत खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीनी के मुकाबले गलत एवं शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेत वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पति के है। जिनमें राजुराम उर्फ राजिया के स्वर्गवास के बाद 1/8–1/8 हिस्सा के खातेदार कृषक है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का पिता मानाराम वादीनी के बडे बाप भुराराम का पुत्र था। जिसके मन में लालच आ गया कि राजुराम उर्फ राजिया के केवल सात लडकियां ही है। लडका नहीं है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता मानाराम ने वादीनी के पिता राजुराम के नाम से 20 रूपये का स्टाम्प खरीद किया तथा मानाराम ने केशवदास स्वामी व गणेशाराम जाट से मिलकर उस स्टांप पर राजुराम उर्फ राजिया की तरफ से वसीयतनामा (अन्तिम इच्छा पत्र) लिखवाकर राजुराम उर्फ राजिया का फर्जी अंगुठा लगाकर तैयार किया। वादीनी के पिता राजुराम उर्फ राजिया का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता मानाराम ने हल्का पटवारी तेनदेसर से मिलकर वसीयत के आधार पर विरास्तन नामान्तरण संख्या 451 वादगत भूमि का भराया। जिसको ग्राम पंचायत तेनदेसर ने दिनांक 24.6.1998 की मिटिंग में अस्वीकार कर दिया। वसीयतनामा (अन्तिम इच्छा पत्र) पंजीकृत नहीं है ओर ना ही नोटेरी से तस्दीक शुद्वा है। कानूनन जब तक अपंजीकृत वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट नहीं कराया जाता है तब तक कानून की दृष्टि में अपंजीकृत वसीयतनामा कोई मायना नहीं रखता और ना ही कानूनन अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर कोई विरास्तन नामान्तरण दर्ज किया जा सकता है। इसलिए वसीयतनामा दिनांक 2.8.1996 फर्जी एंव कुट रचित दस्तावेज है। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष उसके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि स्व. राजुराम उर्फ राजिया के जायज एवं कानूनी वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तरण दर्ज कराये। परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 ने वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण के नाम विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय में राजस्व वाद

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

पेश कर वादगत खेतों के खातेदार राजुराम उर्फ राजिया के जायज एंव कानुनी वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तरण दर्ज कराये जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादगत खेतों पर राजुराम के जीवनकाल से वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी है। वादगत खेतों पर स्व. मानाराम का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग कभी नहीं रहा ओर ना ही मानाराम के स्वर्गवास के बाद उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा है। ओर ना ही वर्तमान में है। वादीनी दिनांक 10.04.2021 को वादगत खेतों में सुड कर रही थी तब प्रवितादी संख्या 1 ता 7 आये तथा वादीनी को वादगत खेतों में सुड करने से मना किया ओर ऐलानीयां धमकियां दी कि वोह वर्षा होने पर वादगत खेतों पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके काश्त करेंगें। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से कहा कि वादगत खेत उनके पैत्रिक सम्पति के खेत है जिनको वादीनी एवं गौण प्रतिवादीगण राजुराम के जीवनकाल से काश्त करते आ रही है। तब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने ऐलानियां तोर पर धमकियां दी कि वोह पटवारी हल्का से मिलकर वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाकर किन्ही भूमाफियों को विक्रय कर वादीनी को वादगत खेतों से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा करवायेंगें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 इस गलत कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को अपने पैत्रिक खेतों से महरूम होना पडेगा। जिससे वादीनी को अपूर्तीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि वादगत खेतों के किसी हिस्से या अंश पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल नहीं करे ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें। ओर ना ही वादीनी को फसल लाटने में किसी प्रकार की बाधायें आदि पैदा स्वंय करें या किसी अन्य से करायें। वादीनी वादगत खेतों की खातेदार कृषक होने तथा वादगत खेत वादीनी के पुस्तेनी, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादीनी को वादाधार वाद प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। वादीनी के साथ गौण प्रतिवादीगण का समान हित नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में यहां पर नहीं होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर उन्हें वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किये गये है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आव यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीनी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादीनी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादीनी घोशणात्मक एवं चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व गौण प्रतिवादी 1 व 6 ता 7 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व गौण प्रतिवादी 1 व 6 ता 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से श्री भंवरलाल कुचेरिया एडवोकेट ने इकबाल जवाब पेश किया है। पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। इकबाल जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकुलान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील वादीनी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम तेनदेसर के खसरा संख्या 10 तादादी 9.0296 हेक्टेयर, खसरा संख्या 9 तादादी 7.9167 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 16.9463 हेक्टेयर भूमि की मीरा पत्नि राजुराम व संतोष, सुगनी, कमा, मनोहरी, गीता, नानू, नरू पुत्रियां राजुराम जाति मेघवाल निवासी तेनदेसर को ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03-06-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner